अध्याय – 12

विधान एवं संस्थागत सहायता

वैधानिक और संस्थागत सहायता

परिचय

इस मंत्रालय का नीति और विधी प्रभाग "असिस्टेंस फॉर अवेटमेंट ऑफ पाल्यूशन, एनवायरनमेंटल पॉलिसी एंड लॉ" तथा "स्टेबलिशमेंट ऑफ एनवायरनमेंटल कमीशन एंड ट्राइब्यूनल नामक स्कीमों का आंशिक रुप से कार्यान्वयन कर रहा है और अन्य थीमैटिक डिविजनों को किसी कानून में/अधिसूचना में अथवा नया कानून बनाने के संबंध में पड़ने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता करता है। इसके अलावा यह प्रभाग विशेष रूप से राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, विधी आयोग की 186वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों तथा ईकोमार्क स्कीम का कार्यान्वयन भी देख रहा है।

शुरू किए गए कार्यकलापों की प्रगति

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006

– राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है जिसे देश के सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। इसमें किसी उपबंध को बदलने की बजाय पूर्व की नीतियों पर कार्य जारी रखने पर जोर दिया गया है। यह नीति विशेषज्ञों, सरकारों, औद्योगिक एसोसिएशनों, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों तथा लोगों के साथ हुए व्यापक विचार–विमर्श का परिणाम है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जिसके संबंध में सभी स्थलों पर स्टेकहोल्डरों और विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। अनेक नए और पहले से जारी प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है।

– राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और यह मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में व्यक्त किए गए सरोकारों को उचित रूप से समापलित किया जाए और 11वीं योजना अवधि में सैक्टोरल/राज्य विकास योजनाओं में शामिल किया जाए।

विधि आयोग की सिफारिश

– विधि आयोग ने एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम प्रो. एम.वी. नायडू (1999(2) में रिपोर्ट किया गया और एससीसी 718 और 2001(2) एससीसी 62) मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अपनी 186वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्येक राज्य में पर्यावरणीय न्यायालय स्थापित किए जाने की सिफारिश की है जिसमें विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत अपीलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अलावा पर्यावरणीय विवादों से निपटने के लिए न्यायिक और विशेषज्ञ शामिल हों जोकि पर्यावरणीय क्षेत्र से संबंधित हों। आयोग ने कहा है कि पर्यावरणीय अदालतें स्थापित किए जाने के बाद राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 को रिपील करने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने विधि आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करने का निर्णय किया है और इस संबंध में एक विधेयक तैयार करने के लिए विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय को एक प्रस्ताव का प्रारूप भेजा गया है।

ईकोमार्क योजना

– मंत्रालय ने पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर उत्पादों की पहचान करने के लिए 1991 में ईकोमार्क योजना लांच की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस तरह के पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों की खपत को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर जोकि पर्यावरणीय मापदंड के साथ–साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डर्ड की आईएसआई क्वालिटी अपेक्षाओं को पूरा करती हैं उनपर लेबल लगाने की व्यवस्था है। ईकोमार्क योजना को "अर्थनपॉट" के विशिष्ट चिन्ह् वाले लोगो के रूप में अवार्ड किया गया है। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहने वाले स्वैच्छिक योजना प्रणाली पर आधारित है।

– ईकोमार्क प्रणाली अभी तक उत्पादनकर्ताओं में लोकप्रिय नहीं है। उत्पादों की 17 श्रेणियों, जिनके लिए मंत्रालय द्वारा मानदण्ड अधिसूचित किए जा चुके हैं, केवल 3 उत्पादों की श्रेणियों के लिए 12 उत्पादकों

ने लाइसेंस लिए हैं। अन्य देशों में अपनाई जा रही प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस योजना की समीक्षा की जा रही है जिससे कि इसे दोबारा शुरू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें।

पर्यावरण कानून के क्षेत्र में क्षमता निर्माण

– वर्ष के दौरान मंत्रालय ने पर्यावरणीय कानूनों के क्षेत्र में जागरूकता और क्षमता को बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्रोत्साहित करना जारी रखा।

– वर्ल्ड वाइड फंड (Wwf) – इंडिया को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय मामलों पर दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों का संकलन करने और इसे (एनवायरनमेंट लॉ डाइजेस्ट) के रूप में प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। Wwf ने एनवायरनमेंट लॉ डाइजेस्ट का प्रथम प्रारूप प्रस्तुत कर लिया है और मंत्रालय द्वारा इस समय इसकी जांच की जा रही है।

– इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली को 8–9 दिसम्बर 2007 को 5वीं इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डाइमेंशन्स ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ आयोजित करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इस कांफ्रेंस का उद्घाटन, इंडियन सोसाइटी ऑफ लॉ, एक्जीक्यूटीव काउंसिल के प्रसिडेंट श्री राम निवास मिर्धा।

व्यापार और पर्यावरण

परिचय और उद्देश्य

वर्ष 1990 के प्रारंभ से अनेक कारणों से 'व्यापार और पर्यावरण' का मुद्दा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

– व्यापार और पर्यावरण के क्षेत्र में, विशिष्ट मदों के मामले में डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत बातचीत के द्वारा तथा अन्य बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए मंत्रालय में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

– मंत्रालय के प्राथमिकता वाले सेक्टरों के संदर्भ में विशिष्ट संदर्भ सहित व्यापार और पर्यावरण के बीच संबंधों की जांच करना।

– प्रभावित सेक्टरों में डब्ल्यू.टी.ओ. की नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन के पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना तथा उसके लिए नीति सुझाना।

शुरू किए गए कार्यों की प्रगति

मंत्रालय ने 01 दिसंबर, 2006 से "प्रोग्राम ऑन ट्रेड एण्ड एनवायरमेंट" नामक तीन वर्षीय परामर्शी–परियोजना को मंजूरी दी है तथा डॉ. यू. शंकर इस परियोजना के समन्वयक होंगे। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में व्यापार और पर्यावरण पर पूर्णतः समर्पित एक वेबसाईट लांच की जा रही है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स की उत्कृष्टता केंद्र की वेबसाईट से इसे देखा जा सकता है।